

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 473]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 11, शक 1942

### लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्र.-एफ-2-13-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-01.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

### मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1.21	100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	07 दिन	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक

1.22	100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	कार्यपालन यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक	07 दिन	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
1.23	500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
1.24	500 केव्हीए से अधिक एवं 5000 केव्हीए तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	15 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
1.25	5000 केव्हीए से अधिक क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग	15 दिन	विभागीय सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग
1.26	5000 केव्हीए से अधिक क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)	मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक	07 दिन	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग	15 दिन	विभागीय सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.

क्र.-एफ-2-14-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-33.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी विभाग की सेवा**

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
<b>License for Whole Sale</b>						
33.1	एफ.एल. 10(क) बाहरी(आउटसाइडर) की केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण <b>04 सप्ताह</b>	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	-
33.2	एफ.एल. 10(ख) मूल में बोटल बंद आयातित विदेशी मदिरा के लिए केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर	आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता की स्थिति में सम्पूर्ण पूर्ति के उपरांत निराकरण <b>04 सप्ताह</b>	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	04 सप्ताह	-
33.3	एफ.एल. - 6 सैनिक केन्टीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति	जिला कलेक्टर	समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत <b>02 सप्ताह में</b>	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	02 सप्ताह में	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

License for Retail Sale						
33.4	एफ.एल.-7 सैनिक कैटीन अनुज्ञप्ति फुटकर	जिला कलेक्टर	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 02 सप्ताह में	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	02 सप्ताह में	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
33.5	एफ.एल.- 8 सैनिक/अर्द्धसैनिक (पैरा मिलिट्री) बल द्वारा संचालित विनोदगृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मेस) द्वारा विदेशी मदिरा कब्जे में रखने अनुज्ञप्ति	जिला कलेक्टर	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 02 सप्ताह में	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	02 सप्ताह में	प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग
other License						
33.6	आर.एस.-1 परिशोधित स्पिरिट के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति (परिशोधित स्पिरिट के बोतल में भरने एवं बिक्री के लिए रासायनिक और औषधि विक्रेता या अनुमोदित संस्था के लिए)	सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 02 सप्ताह में	जिला कलेक्टर	02 राप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
33.7	RS - 2A मद्यसार (Alcohol) अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक (Narcotic) दवाओं को समावेश ठोस तत्व व मूल औषधियों और अन्य औषधियों और वातित रसायनों के अतिरिक्त उन्हें छोड़कर जिनमे मद्यसार(Alcohol), अफीम बनाये जाने में उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट के कब्जा रखने के लिए लाइसेंस	सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 03 सप्ताह में	जिला कलेक्टर	03 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

33.8	RS-2B ठोस तत्वों, मूल औषधियों और वातित रसायनों को, जिनमें मद्यसार भी समाविष्ट हो, सम्पाकों को बनाये जाने में उपयोग के लिए परिशोधित स्पिरिट का कब्जा रखने के लिए अनुज्ञप्ति	सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी	समस्त औपचरिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त 03 सप्ताह में	जिला कलेक्टर	03 सप्ताह	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश
------	--	--	--	--------------	-----------	---------------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रिपुदमन सिंह, उपसचिव.

क्र.-एफ-2-15-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-05- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवा**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
5.39	औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल की उपलब्धता/ अनुपलब्धता	1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/ नगर परिषद् क्षेत्र के लिए 2. कार्यपालन यंत्री(नगर पालिक निगम) नगर पालिक निगम क्षेत्र के लिए	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम	07 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.

क्र.-एफ-2-16-2020-61-लोसेप्र-61-1-पी.एस.जी.-44.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा खनिज साधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खनिज साधन विभाग की सेवा**

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
44.8	खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पत्र (रेत को छोड़कर)	जिला खनिज अधिकारी	03 कार्य दिवस संबंधित खनिज कार्यालय द्वारा जाँच प्रतिवेदन ई-खनिज पोर्टल पर अपलोड होने के पश्चात्	जिला कलेक्टर	15 कार्य दिवस	संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रिपुदमन सिंह मदीरिया, उपसचिव.